प्रकरण संख्या 86/2023 अनवान् बहादुरचन्द बनाम स्टेट आ0धा0 88 आरटीएक्ट निर्णय दिनांक 18.10.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या - 86/2023 निर्णय दिनांक -18.10.2024
(जी.सी.एम.एस.-2023/184)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

अनवान -
बहादुरचन्द पुत्र श्री नरसीराम जाति ब्राह्मण निवासी चक 6 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

.......वादी........

बनाम-
स्टेट आर्फ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

.......प्रतिवादी.....

उपस्थिति- 01. श्री साहिब बाघला, वकील प्रार्थी
02. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर का पुराना खाता संख्या 39 नया खाता सं-96 मुरब्बा नं-42 पत्थर सं-194/395 का किला 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7/2, 8, 9/2, 13, 18, 23 कुल 2.1080 हैक्टर कमाण्ड रकबा मय खाला वादी के नाम वहादरराम पुत्र नरसीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का सही व वास्तविक नाम बहादुरचंद पुत्र नरसीराम है लेकिन वादी का घरेलु नाम वहादरराम होने के कारण वादी को घर व रिश्तेदारी मे दोनो नामो वहादरराम व बहादुरचंद के नाम से जानते व पुकारते थे। वादी यहां यह स्पष्ट करना उचित समझता है कि उक्त कृषि भूमि वादी को जरिए विरास्तन प्राप्त हुई थी। वादी को घर व रिश्तेदारी मे दोनो नामो वहादरराम व बहादुरचंद के नाम से जानते व पुकारते थे उसी आधार पर आगे इंतकाल दर्ज करते समय उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम बहादुरचंद के स्थान पर वहादरराम दर्ज हो गया था। वादी व वादी का परिवार ग्रामिण परिवेश का था। वादी भी ग्रामीण परिवेश का काश्तकार पेशा व्यक्ति है। विरास्तन इंतकाल दर्ज करते वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम बहादुरचंद के स्थान पर वहादरराम के नाम से दर्ज हुआ जो एक सद्भाविक एवं मानवीय भुल है। वादी का सही नाम बहादुरचंद पुत्र नरसीराम है तथा वादी का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि जिनकी प्रतिया सलग्न है, मे वादी का नाम बहादुरचंद पुत्र नरसीराम दर्ज है। इसके अलावा चक 2 बीएलएम (द) मे पुराना खाता सं-31 नया खाता सं-32 मुरब्बा नं-20 पत्थर सं-187/376 मे कृषि भूमि है जि[illegible] राजस्व रिकार्ड मे भी वादी का नाम बहादुरचंद पुत्र नरसीराम दर्ज है लेकिन [illegible] के [illegible] मे वादी को उसके घरेलु नाम वहादरराम के नाम से पुकारते थे इसलिए वादी [illegible] इंतकाल के समय वहादरराम दर्ज हो गया गया था जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम बहादुरचंद पुत्र नरसीराम है। इस प्रकार वहादरराम व बहादुरचंद वादी का ही नाम है तथा वादी को दोनो नामो से जाना व पुकारा जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादी जो कि ग्रामिण परिवेश का व्यक्ति है। वादी को पूर्व मे उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नही था। अब वादी उक्त कृषि भूमि पर ऋण सुविधा की पत्रावाली तैयार करवाने के संबंध मे अरसा 3 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देख कर बताया कि आपका यानि बहादुरचंद का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है बल्कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड मे बहादरराम दर्ज है। जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम बहादुरचंद है और घर पर उसे उसके घरेलु नाम बहादरराम के नाम से बुलाते है और बहादरराम व बहादराचंद दोनो नाम मेरे ही है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय अदालत मे चाराजोही करने के लिए कहा। जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। बस यही विनाय दावा विनाय मुखास्मत है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से निर्णित व डिक्री फरमाया जावे, घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075-2078 मे दर्ज खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 4 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर का पुराना खाता सं-39 नया खाता सं-96 मुरब्बा नं-42 पत्थर सं-194/395 का किला नं-2/1, 2/2. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7/2, 8, 9/2, 13, 18, 23 मे कुल 2.1080 हैक्टर कमाण्ड रकबा मय खाला जो बहादरराम पुत्र नरसीराम के नाम से दर्ज है, के संबंध मे वादी के खातेदार अधिकार की घोषणा की जाकर इस कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी बहादुरचंद पुत्र नरसीराम के नाम की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी को वादी का नाम बहादुरचंद पुत्र नरसीराम दर्ज किऐ जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। चक 4 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर का पुराना खाता सं-39 नया खाता सं-96 मुरब्बा नं-42 पत्थर सं-194/395 का किला नं-2/1, 2/2. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7/2, 8, 9/2, 13, 18, 23 मे कुल 2.1080 हैक्टर कमाण्ड रकवा मय खाला जो बहादरराम पुत्र नरसीराम के नाम से दर्ज है, के राजस्व रिकार्ड में वादी अपना नाम बहादरराम से बहादुरचंद करवाना चाहता है, जिसके संबंध में वादी द्वारा चक 2 बीएलडी-ए तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 20 प0न0 187/376 की जमाबंदी, आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैक खाता की पास बुक, मतदाता पहचान पत्र, वोटर लिस्ट प्रस्तुत है जिसमें वादी का नाम बहादुरचंद है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार करने योग्य पाया गया।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर के पुराना खाता सं-39 नया खाता सं-96 मुरब्बा नं-42 पत्थर सं-194/395 के किला नं- 2/1, 2/2. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7/2, 8, 9/2, 13, 18, 23 मे कुल 2.1080 हैक्टर कमाण्ड रकबा के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बहादरराम की जगह बहादुरचंद करने के आदेश दिये जा[illegible]सीलदार श्रीविजयनगर को पालना बावत तहरीर जारी हो, पत्रावली [illegible] से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 18/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:28 IST
Reason: SelfAttested

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।

Scanned with CamScanner